

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. : CBECE/R/2017/51222

Date of Receipt : 14/09/2017

Type of Receipt : Online Receipt

Language of Request : Hindi

Name : प्रवीण जैन

Gender : Male

Address : 201अ, आदीश्वर, सोसाइटी, सेक्टर-9 अ, वाशी, नवी मुंबई, Pin:400703

State : Maharashtra

Country : India

Phone No. : Details not provided

Mobile No. : +91-9819983708

Email : cs.praveenjain@gmail.com

Status(Rural/Urban) : Urban

Education Status :

Is Requester Below Poverty Line No
? :

Citizenship Status Indian

Amount Paid : 10)

Mode of Payment Payment Gateway

Request Pertains to :

आवेदन संलग्न है.

Information Sought : कृपया बिन्दुवार सूचनाएं केवल हिंदी में और 30 दिनों के भीतर प्रदान करने का कष्ट करें.

Print

Save

Close

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड),

मुख्यालय, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आवेदन

महोदय/महोदया,

कृपया इस आवेदन के सम्बन्ध में सभी प्रकार का संवाद केवल हिंदी में करें, तथ्यपरक बिन्दुवार सूचनाएँ प्रदान करने का कष्ट करें:

1. पिछले 6 महीनों में बोर्ड, मुख्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर ("वसेक") सम्बन्धी कितनी प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र और कार्यालयीन आदेश द्विभाषी रूप में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में अलग-2 संख्या बताएँ. ये सभी प्रपत्र कहाँ देखे जा सकते हैं? DGTPS

2. बोर्ड की वस्तु एवं सेवा कर सम्बन्धी ऑनलाइन सेवाएँ जैसे पंजीकरण एवं विवरणी दाखिल करना (रिटर्न) द्विभाषी इंटरफेस के साथ शुरू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाया गया है? यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है तो साफ़ साफ़ लिखकर बताएँ. LITN

3. बोर्ड की निम्नलिखित वेबसाइट/पोर्टल/वेबपेज सिर्फ अंग्रेजी में हैं जो राष्ट्रपति के आदेशों का खुला उल्लंघन हैं:

<http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/index>

<https://www.cbec-gst.gov.in/>

<https://www.gst.gov.in/>

<http://www.gstn.org/>

<http://www.gstcouncil.gov.in>

इन पॉचों को बनाने का कार्य किस अधिकारी/टीम को सौंपा गया है, नाम/पदनाम/ईमेल प्रदान करें, और कब सौंपा गया है सूचित करें. इन पॉचों वेबसाइट/वेबपेज को राजभाषा हिंदी में बनाने के लिए की कार्रवाई की विस्तृत सूचना दें. DGSP

4. बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों को वसेक जागरूकता के आयोजित संगोष्ठी/सेमिनार/आयोजनों के द्विभाषी बैनर और द्विभाषी मेज नामपट बनवाने के लिए बनाए जाँच बिंदुओं की सूची दें और जारी किए गए निर्देश की प्रतिलिपि दें. DGTPS

5. बोर्ड द्वारा वस्तु एवं सेवा कर सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र किस भाषा में जारी किए जाते हैं, एक-2 नमूना उपलब्ध करवाएं. GSTN

6. बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या क्या है? इनमें से कितने अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है? और कितने अधिकारियों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? CBEC

7. बोर्ड के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग/आईटी टीम के अधिकारियों के नाम, पदनाम और उनके आधिकारिक ईमेल पते बताएँ? इनमें से कितने अधिकारी अपना कार्य राजभाषा हिंदी में करने में सक्षम हैं? CBEC

8. बोर्ड के सामाजिक माध्यम दल (ट्विटर/फेसबुक पर नवीन सूचनाएँ डालने वाले) के अधिकारियों के नाम, पदनाम और उनके आधिकारिक ईमेल पते बताएँ? इनमें से कितने अधिकारी अपना कार्य राजभाषा हिंदी में करने में सक्षम हैं? CBEC

9. वसेक परिषद/जीएसटी परिषद की सभी पिछली बैठकों के बैनर/मेजनामपट केवल अंग्रेजी में बनवाए गए, इन बैनर/मेजनामपट को बनवाने की मंजूरी देने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल पता सूचित करें. CBEC

धन्यवाद सहित,

आवेदक:

प्रवीण जैन



Government of India
Office of the Assistant Commissioner of CGST & CX :Joka Division
Kol-South Commissionerate: Kendriya Utpad Shulkha Bhawan, 3th Floor,
180, Shantipally, Rajdanga Main Road, Kolkata-700 107.

C.No. V(30)01/RTI/Joka/CGST/Kol-South/17 -18/ 1288 .

Date : 12 JAN 2018

To
Shri Praveen Jain ,
201A, Aadishwar Society,
Sector-8 Vashi , Navi Mumbai
Pin-200703

Sir,

Sub : RTI Application dated 14.09.2017 filed by Shri Praveen Jain,
Under Right to Information Act, 2005-Reg.

Please refer to your RTI Application dated 14/09/2018 on the above mentioned subject. The application has been transferred to this office from CPIO, Central Excise, Kolkata-South Commissionerate on 29.12.2017 and received on this Office on 04.01.2018 registered at this office vide Registration No.10/RTI/CGST/JOKA/17-18 dated 05.01.2018.

The information as asked for in your RTI application are not available with this office. So the desired report in respect of Joka Division may please be treated as 'NIL'

If you are aggrieved or dissatisfied with the reply provided by this CPIO , you are at liberty to prefer an appeal within 30 days to the 1st Appellate Authority Shri Debojit Bose, Additional Commissioner, & CPIO, CGST & CX Kolkata-South Commissionerate, CGST Bhawan, , 180 Shantipally, Rajdanga Main Road, R.B. Connector, Kolkata-700107.

Thanking you,

Yours faithfully,

Assistant Commissioner & CPIO
CGST & CX, Joka Division,
Kolkata -South Commissionerate

Dated :13.11.2017

12 JAN 2018

C.No: as above

1289 .

Copy forwarded for information to :

The Assistant Commissioner & CPIO.CGST&CX ,Kol-South Comm'rte

Assistant Commissioner & CPIO
CGST & CX, Joka Division,
Kolkata -South Commissionerate